Group 'B' Departmental Confirmation Committee :		
1. Chief Engineer, Central Water Commission.	- Chairman;	
2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Water Resources.	- Member;	
3. Secretary, Central Water Commission.	- Member;	
4. Director, Central Water Commission.	- Member.	

[No. 06/2015, F.No. 35/26/2009-Estt.I]

A. K. KAUSHIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 6.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद)पद भर्ती नियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड/ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''क'' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
7	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति +प्रोन्नति)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या कानूनी संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य पदों में 7 वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास नीचे दी गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री और

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या कानूनी संगठन/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किमी पुस्तकालय में 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या कानूनी संगठन/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में कम्प्यूट्रीकृत पुस्तकालय क्रियाकलापों का एक वर्ष का अनुभव ।

(ii) जलीय क्षेत्र/जल संसाधन में एक वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।

टिप्पण 1 : बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन बैंड 2, 9300-4800 रु. + ग्रेडवेतन 4600 रु. में विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, पर भी विचार किया जायेगा, यदि उसका चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति के रूप में भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01, जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12			13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के विषय में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे			पद पर भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1	भार साधक संयुक्त सचिव, के.ज.वि.अ.के जल संसाधन मंत्रालय	अध्यक्ष	
2.	निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे	सदस्य	
3	अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे	सदस्य	

[फा. सं. 2/3/2009-ई.II)]

एस. के. कटारिया अवर सचिव

New Delhi, the 31st December, 2015

G.S.R. 6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, (Documentation Officer) Recruitment Rules, 1985 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following

rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer (Group 'A' Post) in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune under the Ministry of Water Resources namely :-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Library and Information Officer (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts classification, pay band and grade pay or pay scale.**- The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** - The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule

4. **Disqualification** - No person .-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation in with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band/ Grade pay/ pay scale.	Whether selection post or Non-Selection post.	Age-limit for Direct recruit.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Library and Information Officer.	01 * 2015 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	PB-3; Rs. 15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two year	By composite method (deputation plus promotion)

In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/deputation /absorption is to be made.
(11)
Deputation (including short term contract) Officers under the Central/State Government/autonomous or statutory organization/PSU/University or recognized research or educational institution: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 7 years' regular service in posts in the Pay Band 2 Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4600 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as under.

Essential:

(i) Master's degree in Library science or Library and Information Science of a recognized University, and

(ii) 5 years' experience in a Library under Central/State Government/autonomous or statutory organization/PSU/ University or recognized research or educational institution.

Desirable:

(i) One year experience of computerizing Library activities in a Library under Central/State Government/autonomous or statutory organization /PSU/University or recognized research or educational institution.

(ii) One year professional experience in the area of Hydraulics/Water Resources.

(iii) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.

Note 1. The departmental Assistant Library and Information Officer in PB-2 Rs. 9300-34800 with the grade pay of Rs. 4600 shall be considered along with outsiders, in case if he is selected. It shall be treated as promotion.

Note 2. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 3. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) /absorption shall not exceed 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A; Departmental Promotion Committee (for consideration promotion/confirmation) 1. Joint Secretary in Charge CWPRS, Ministry of Water Resources - Chairman 2. Director, Central Water and Power Research Station, Pune –Member 3. Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune - Member	Consultation with the *Union Public* Service Commission is necessary for filling up of post

[F. No. 2/3/2009-E.II]

S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 7.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2011 का अधिक्रांत करते हुए जहा तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , केन्द्रीय